

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

Veterinary Council of India

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का वैधानिक निकाय

(Statutory Body of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India)

'ए' विंग, दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

'A' Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066

[दूरभाष/Ph:011-26184149, ई-मेल/Email:vciinfo@nic.in]

File No.20-1/2017-VCI/ 1364

Dated: 4/8/25

To,

The Registrars,
All State/ UT Veterinary Councils.

Subject: Amendment of the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 – regarding.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, please find enclosed herewith a copy of the following Gazette Notifications issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India with regard to inclusion of B.V.Sc. & A.H. qualification in the First Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 granted by the respective Universities for the respective Colleges:

- (i) S.O.1914(E) dated 28th April, 2025 and Corrigendum S.O.2719(E) dated 16th June, 2025:- Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner in respect of Shourabh College of Veterinary Science, Kheda, Hindaun City, Karauli (Rajasthan) [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20.07.2027].
- (ii) S.O.2010(E) dated 1st May, 2025 and Corrigendum S.O.3233(E) dated 14th July, 2025:- Siksha 'O' Anusandhan Deemed to be University in respect of Institute of Veterinary Science & Animal Husbandry, Campus-IV [This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 30th April, 2028].
- (iii) S.O.3231(E) dated 14th July, 2025 Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar in respect of RPS College of Veterinary Sciences, (Mahendragarh) [This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 30th June, 2027].
- (iv) S.O.3232(E) dated 14th July, 2025:- Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner in respect of R.R. College of Veterinary and Animal Science, Deoli, Rajasthan [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20.07.2027].
- (v) S.O.3325(E) dated 18th July, 2025:- P.V. Narisimha Rao Telangana Veterinary University, Hyderabad in respect of College of Veterinary Science, Mamnoon, Warangal [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 12th February, 2026.]

This is for kind information and needful.

Yours faithfully,



(Dr. R.G. Bamal)

Secretary, VCI (Addl. Charge)

Copy to:

1. The Deans/Associate Deans, All Veterinary Colleges.
2. The Registrars of All Agricultural/Veterinary Universities/Universities having the faculties of Veterinary Science.
3. The Directors of Animal Husbandry & Veterinary Services of All States/UTs.

Copy for kind information to:

1. The Additional Secretary (LH), Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Krishi Bhawan, New Delhi.

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

Veterinary Council of India

भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का वैधानिक निकाय

(Statutory Body of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India)

'ए' विंग, दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

'A' Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066

[दूरभाष/Ph:011-26184149, ई-मेल/Email:vcinfo@nic.in]

मिसिल सं:20-1/2017-वीसीआई/ 1364

दिनांक: 4/8/25

सेवा में,

पंजीयक,

राज्य पशु चिकित्सा परिषद (सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)

विषय: भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित कॉलेजों के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में बी.वी.एससी. और ए.एच. योग्यता को शामिल करने के संबंध में जारी निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाओं की एक प्रति संलग्न है:

- (i) का.आ.1914(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2025 और शुद्धिपत्र का.आ.2719(अ) दिनांक 16 जून, 2025:- राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित सौरभ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, खेड़ा, हिंडौन सिटी, करौली (राजस्थान) [यह योग्यता तभी एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब यह दिनांक 20.07.2027 को या उसके बाद प्रदान की जाएगी।]
- (ii) का.आ.2010(अ) दिनांक 1 मई, 2025 और शुद्धिपत्र का.आ.3233(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2025:- शिक्षा 'ओ' अनुसंधान से संबंधित पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संस्थान, कैम्पस-IV [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब यह दिनांक 30 अप्रैल, 2028 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगी।]
- (iii) का.आ.3231(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2025 लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार से संबंधित आरपीएस पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, (महेन्द्रगढ़) [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब इसे दिनांक 30 जून, 2027 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगा।]
- (iv) का.आ.3232(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2025:- राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित आर.आर. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, देवली, राजस्थान [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब इसे दिनांक 20.07.2027 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगा।]
- (v) का.आ.3325(अ) दिनांक 18 जुलाई, 2025:- पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबंधित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ममनूर, वारंगल [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब इसे दिनांक 12 फरवरी, 2026 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगा।]

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

भवदीय,

(डॉ. आर.जी. बाम्बल)

सचिव, वीसीआई (अतिरिक्त प्रभार)

प्रति हेतु:

1. अधिष्ठाता, सभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय (मान्यता प्राप्त/अनंतिम रूप से मान्यता प्राप्त)।
2. कुलसचिव, कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)
3. निदेशक, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के (सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:

1. अपर सचिव (एलएच), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262742
CG-DL-E-28042025-262742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947

No. 1872]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

का.आ. 1914(अ).— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उपनियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अन्य संशोधन करती है नामतः-

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक "डिग्री" के अन्तर्गत, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बन्धित क्रम संख्या 75 के समक्ष, मद (ix) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय या पशुचिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
“(x) सौरभ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, खेड़ा, हिंडौन सिटी, करौली (राजस्थान)	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब यह दिनांक 20.07.2027 को या उसके बाद प्रदान की जाएगी]

[फा. सं. के-2021-9-सौरभ महाविद्यालय]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट: भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II -खण्ड 3-उप-खण्ड -ii में दिनांक 17 जनवरी, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 322(अ), द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

S.O. 1914(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, against serial number 75, relating to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner after item (ix) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“(x) Shourabh College of Veterinary & Animal Sciences, Kheda, Hindaun City, Karauli (Rajasthan)	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20.07.2027”

[F. No. K-2021-9-Sourabh College]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was lastly amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 322(E), dated 17th January, 2025



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263954
CG-DL-E-18062025-263954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 2654]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2719(अ).— मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1914(अ) और दिनांक 28 अप्रैल, 2025 को भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-II, अंक संख्या 1872 में प्रकाशित, तालिका के कॉलम (1) की प्रविष्टियों में, "पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान" के लिए "पशुचिकित्सा विज्ञान" पढ़ा जाए।

[फा. सं. के 2021-9- सौरभ कॉलेज]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2719(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Number S.O.1914(E), dated the 28th April, 2025 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 28th April, 2025, issue No.1872, in the entries under column (1) of the table, for “Veterinary & Animal Sciences”, read “Veterinary Science”.

[F. No. K-2021-9-Sourabh College]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.